उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

आर0ए0ए0ए0 नं0–25/2019–20

किशोर पंडित

बनाम्

प्रभा देवी वगैरह

—: आदेश :—

दिनांक 16/09/21

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना। अभिलेखवद्ध कागजातों का अवलोकन किया।

वर्तमान अपील वाद की प्रक्रिया अपीलकर्त्ता किशोर पंडित, पे0–स्व0 अर्जुन पंडित, सा0–मचखार, अंचल–पोड़ैयाहाट, जिला–गोड्डा के अपील आवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया है। अपीलकर्त्ता ने अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के आर0ई0आर0 केश नं0–69/17–18 (प्रभा देवी वनाम् किशोर पंडित) आदेश दिनांक–12.10.2019 के विरूद्ध अपील वाद दायर किया है। अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा ने आर0ई0आर0 केश नं0–69/17–18 के आदेश दिनांक–12.10.2019 के द्वारा मौजा–मचखार जमावंदी सं0–54 दाग नं0–872 रकवा 00–04–00 धुर जमीन से अपीलकर्त्ता को उच्छेद किया है।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि निम्न न्यायालय में उत्तरवादी सं0–1 के द्वारा दावा किया गया है कि मौजा–मचखार के जमावंदी सं0–54 दाग नं0–872 रकवा 00–04–07 धुर जमीन उन्हें अपने पिता के द्वारा विरासत में प्राप्त हुआ है। उनका यह दावा विल्कुल ही निराधार है। क्योंकि उनके दावा की समर्थन उनके भाई या अन्य फरिकेन द्वारा नहीं किया गया है। उक्त जमीन मौजा–मचखार जमावंदी सं0–54 गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में रामचू हजरा के नाम से दर्ज है। जमावंदी रैयत रामचू हजरा ने उक्त जमावंदी सं0–54 के अन्तर्गत दाग नं0–872 रकवा 00–03–00 धुर जमीन अपीलकर्त्ता के पिता–अर्जुन पंडित को वर्ष 1932 ई0 में कुर्फा के द्वारा वंदोवस्त किया था। कुर्फा वंदोवस्ती का समर्थन शपथ पत्र सं0–5004 दिनांक–29.07.2010 के द्वारा टुनटुन पासवान के द्वारा किया गया है। कुर्फा के समर्थन में टुनटुन पासवान के द्वारा दिये गये शपथ पत्र में दो दाग नं0–870 एवं 872 रकवा 00–04–00 धुर जमीन दिखाया गया है। लेकिन निम्न न्यायालय के द्वारा दाग नं0–872 के अन्तर्गत रकवा 00–04–00 धुर जमीन से उच्छेद किया गया है। निम्न न्यायालय के द्वारा स्थल निरीक्षण भी नहीं किया गया। स्थल निरीक्षण करने पर स्पष्ट होता है

कि अपील वादगत जमीन पर अपीलकर्त्ता का आवासीय मकान अवस्थित है एवं अपीलकर्त्ता उस पर वर्ष 1932 ई0 से दखलकार हैं। इसलिए निम्न न्यायालय का संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 20 एवं 42 के तहत अपीलकर्त्ता को उच्छेद करने संबंधी आदेश नियम संगत नहीं है। उन्होंने निम्न न्यायालय के पारित आदेश को निरस्त करते हुए अपील आवेदन को स्वीकृत करने के लिए अनुरोध किया है।

उत्तरवादी सं0–1 के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा–मचखार नं0–64 जमाबंदी सं0–54 गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में रामचू हजरा वल्द काली हजरा के नाम से दर्ज है। उत्तरवादी प्रभा देवी गत जमाबंदी रैयत रामचू हजरा की पोता है। उनके द्वारा गत जमाबंदी रैयत का वंशावली निम्न प्रकार दर्शाया गया है :–

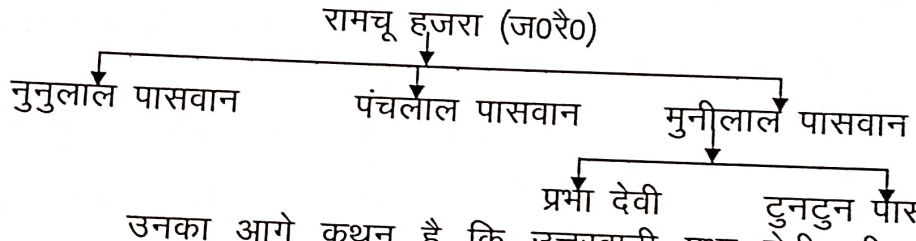

उनका आगे कथन है कि उत्तरवादी प्रभा देवी की शादी ग्राम–सरोतिया के टुनटुन पासवान के साथ हुई थी। लेकिन दो पुत्र पैदा होने के बाद उसे उसके पति ने छोड़ दिया और उसके पति ने दूसरी शादी कर ली है। इसलिए उत्तरवादी प्रभा देवी अपने पिता के घर में रहने लगी। उत्तरवादी प्रभा देवी के मुश्किल को देखते हुए उनके पिता ने भरण–पोषण के लिए उक्त जमाबंदी के अन्तर्गत दाग नं0–872 के अंदर रकवा 00–04–07 धुर जमीन दे दिया है। उक्त जमीन के रकवा 00–00–07 धुर जमीन पर उत्तरवादी प्रभा देवी ने रहने के लिए आवासीय मकान बनाया तथा रकवा 00–04–00 धुर जमीन खाली पड़ा हुआ था। उक्त रकवा 00–04–00 धुर जमीन को अपीलकर्त्ता ने अवैध ढंग से कब्जा कर लिया है। इसलिए उत्तरवादी प्रभा देवी ने अपीलकर्त्ता को उक्त जमीन से उच्छेद करने के लिए अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय में आवेदन दिया। अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा ने अंचल अधिकारी, पोड़ैयाहाट से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त कर नियमानुसार आदेश पारित किया है। क्योंकि उक्त जमीन उत्तरवादी प्रभा देवी की पैतृक जमीन है एवं अपीलकर्त्ता बाहरी व्यक्ति है। इसलिए निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत है। उन्होंने निम्न न्यायालय के पारित आदेश को बरकरार रखते हुए अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन को खारिज करने के लिए अनुरोध किया है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों, अभिलेखबद्ध कागजात एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा–मचखार जमाबंदी सं0–54 कुल रकवा 14–16–01 धुर जमीन गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में रामचू हजरा वल्द काली हजरा कौम दुशाध शा0 देह के नाम से गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में दर्ज है। अपीलकर्त्ता ने उक्त जमाबंदी सं0–54 के दाग नं0–872 एवं 870 के अंदर रकवा 00–04–00 धुर जमीन वर्ष 1932 में कुर्फा से प्राप्त करने का दावा किया है। लेकिन अपीलकर्त्ता के द्वारा वर्ष 1949 के पूर्व का प्रतिकुल प्रभाव से दखल संबंधी कोई भी कागजात न तो निम्न न्यायालय में और न ही वर्तमान अपील वाद में दाखिल किया है। अपीलकर्त्ता की ओर से वर्ष 2006 एवं 2010 का शपथ पत्र एवं नामान्तरण से संबंधित कागजात दाखिल किया है। स्पष्ट है कि उक्त जमीन रैयती प्रकृति की जमीन है एवं रैयती प्रकृति का जमीन का हस्तान्तरण के लिए शपथ पत्र वैध कागजात नहीं है तथा संथाल परगना काश्तकारी(पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 20 के तहत स्वीकार्य योग्य नहीं है। इसलिए निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के आर0ई0आर0 केश नं0–69/17–18 में दिनांक–12.10.2019 के आदेश को बरकरार रखते हुए अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन खारिज किया जाता है।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

उपायुक्त,
गोड्डा।

उपायुक्त,
गोड्डा।

Sd/- 20/9/21

DB No – 155
Date – 18.09.21

Digitally signed by BHOR SINGH YADAV
Date: 2022.06.07 11:35:16 +05:30
Location: 192.168.29.32